



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25062022-236805
CG-DL-W-25062022-236805

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 19— जून 25, 2022, शनिवार/ ज्येष्ठ 29—आषाढ़ 4, 1944
No. 22] NEW DELHI, JUNE 19—JUNE 25, 2022, SATURDAY/ JYAISTHA 29—ASADHA 4, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 जून, 2022

सा.का.नि. 84.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल (स्टाफ नर्स), भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण है लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ नर्स	01* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु.35,400- 1,12,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीयप्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—5 (रु 29,200 - 92,300/-) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:- (अ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एस.सी (ऑनर्स) या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एस.सी. नर्सिंग का नियमित कोर्स या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद् में नर्स या नर्स एवं मिडवाइफ (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में रजिस्टर्ड या (ब) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद् से सामान्य नर्सिंग मिड वाइफरी का डिप्लोमा; (ii) किसी राज्य नर्सिंग परिषद् में नर्स या नर्स एवं मिडवाइफ (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में रजिस्टर्ड (iii) उपरोक्त (ब) (i) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता को प्राप्त करने के पश्चात, कम से कम 50 बिस्तरों के अस्पताल में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 23011/94/2022-बी.पी.आर एंड डी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Bureau of Police Research and Development)**

New Delhi, the 20th June, 2022

G.S.R. 84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Nurse in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Academy for Police Training, Bhopal (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. —The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Nurse	01* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400/-) in the pay matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) with six years' service in a grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs. 29,200 - 92,300/-) in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (A)(i) Bachelor of Science (Hons) in Nursing from a recognised university or institute; OR regular course in Bachelor of Science Nursing from a recognised university or institute; OR Post basic Bachelor of Science Nursing from a recognised university or institute; and (ii) registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN and RM) with State Nursing Council. OR (B)(i) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council; (ii) registered as a Nurse or Nurse and Mid-wife (RN or RN and RM) from State Nursing Council; and (iii) one year's experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at B(i) above. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/94/2022-BPR&D]

SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जून, 2022

सा.का.नि. 85.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल प्रशिक्षण अधिकारी, भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर:— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएँ:— वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशिक्षण अधिकारी	03* (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (रु. 47,600- 1,51,100 /-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर — 7 (रु. 44,900 -1,42,400/-) के पद पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:- आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। (ii) प्रशिक्षण प्रदान करने, रखरखाव और रिकॉर्ड के विश्लेषण के क्षेत्र में पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव और जिन्होंने भारत या विदेश में प्रशिक्षण के प्रशिक्षण का कोर्स किया हो। वांछनीय:— (i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.एस. ऑफिस, वेब सर्फिंग, ई-मेल के प्रयोग में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा। टिप्पण 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि के साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/93/2022- बीपीआरएण्डडी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th June, 2022

G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Officer in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs Central Academy for Police Training Bhopal Training Officer Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Training Officer	03* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 8 (Rs. 47,600-1,51,100/-).	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories: - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the level-7 (Rs. 44,900-1,42,400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- Essential: (i) Bachelors degree from a recognised University or institute; (ii) three years' experience in the field of imparting training, maintenance and analysis of records, use of technology in policing and have done training of trainer Course in India or Abroad. Desirable: (i) Certificate or diploma in MS Office, web surfing, use of Email from a recognised institute. Note 1: The period of deputation, including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 23011/93/2022-BPR&D]

SUNIL BAREJA, Under Secy.